राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 154 मई 2012

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पुलिस डी.आई.जी. के पास जब एक व्यक्ति यह शिकायत लेकर गया कि उसकी नाबालिग पुत्री या तो किसी के साथ भाग गई है या उसका अपहरण कर लिया है, तो डी.आई. जी. के मुंह से निकले शब्दों को जान कर सारा देश क्रोधित और स्तब्ध रह गया। अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय, कैमरे में कैद हुए डी.आई.जी. के यह शब्द सकते में डालने वाले हैं : "यदि तुम्हारी लड़की भाग गई है तो तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए ..... यदि मेरी बहन किसी के साथ भाग गई होती, तो या तो मैंने उसे मार डाला होता या आत्महत्या कर लेता।"

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कानून की रक्षा करने की आशा की जाती है, विशेषकर ऐसे राज्य में जहां मान-हत्या का रिकार्ड सबसे खराब है। उनसे ऐसा दिल दहलाने वाला सुझाव आना अक्षम्य है। उनकी निष्ठुर टिप्पणी दर्शाती है कि बहुत से लोगों के लिए किसी ऐसी महिला की हत्या करना वाजिब है जिसने अपने परिवार की सोच की अवहेलना की हो या परिवार के तथाकथित मान की उपेक्षा की हो। लड़की को अपराधी के चंगुल से निकालने और उसकी रक्षा करने के बजाय, पुलिस अधिकारी

चर्चा में — संवेदना-शून्य पुलिस

ने उसके विरुद्ध और भी अधिक हिंसा किए जाने का मार्ग सुझाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पुलिस अधिकारी को निलंबित किए जाने की मांग की है।

इस प्रकार की मध्ययुगीन मनोवृत्ति से यही सिद्ध होता है कि शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक हैसियत से पितृसत्तात्मक मानसिकता में बदलाव नहीं आता। महिलाओं के साथ गैर-मानवीय वर्ताव जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन भर उनके साथ चलता है। भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा आदि में उन्हें जन्म से ही वंचनाओं का शिकार होना पड़ता है।

भारत में महिलाओं-संबंधित ऐसे कानूनों की कमी नहीं है जो जन्म से ही उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, परन्तु उन कानूनों की क्रियान्वित प्रक्रिया में सदा से कमी चली आयी है। जब तक कि इन कानूनों का कड़ाई के साथ पालन नहीं होगा, उक्त डी.आई.जी. जैसे पुलिस अधिकारी महिलाओं के मूलभूत मानवाधिकारों को कुचलते रहेंगे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा न करने वालों को जब ऐसी सज़ा दी जायेगी जिससे वे अपनी करनी से बाज़ आयें, तभी उनके मन में डर बिठाया जा सकता है कि उनकी अकर्मण्यता का क्या परिणाम होगा। इस डी.आई.जी. की अकर्मण्यता के लिए उसकी खिंचाई की जानी चाहिए। इससे यह संदेश भी जायेगा कि कोई कितना भी ताकतवर हो, कानून से ऊपर नहीं है।

अध्यक्षा ने सेमिनार में भाग लिया

गाजियाबाद में गीतांजलि कल्याण शैक्षिक समिति द्वारा आयोजित 'वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति' विषय पर आयोजित एक सेमिनार में आयोग की अध्यक्षा ने भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस समाज में पुरुष वर्ग महिलाओं के प्रति समुचित आदर नहीं दिखाता, वह समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं-संबंधित कानूनों का उचित रूप से क्रियान्वयन हो, तो उनके प्रति होने वाले अपराधों में 50% कमी आ जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में यदि बालिका भ्रूणहत्या चलती रही, तो लगभग 2 करोड़ युवकों को दुल्हन नसीब नहीं होगी। बाद में उन्होंने "महिला मिशन एक पहल" शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया जिसमें स्थानीय पुलिस थानों के टेलीफोन नम्बर और दहेज, घरेलू हिंसा आदि से संबंधित कानूनों का हवाला दिया गया था।

अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा सेमिनार के श्रोताओं को संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय महिला आयोग ने निःशुल्क हेल्पलाइन की स्थापना की

गुजरात में अहमदाबाद में हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक 24X7 निःशुल्क हेल्पलाइन (1800 233 22222) का शुभारंभ किया। गुजरात की राज्यपाल डॉ. श्रीमति कमला बेनीवालजी ने इसका उद्घाटन किया।

इस अवसर पर आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने कहा कि यह हेल्पलाइन पथप्रदर्शक आधार पर पहले गुजरात और हरियाणा में प्रारंभ की जा रही है और फिर इस मॉडल को समस्त भारत में स्थापित किया जायेगा। उन्होंने श्रोताओं को यह भी बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग केरल, राजस्थान, उत्तराखंड तथा पंजाब में ग्रामीण महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराने के लिए 'महिला अधिकार अभियान' प्रारंभ करने जा रहा है। सदस्या चारू वलीखन्ना ने, जो अध्यक्षा के साथ वहां गई थीं, कहा कि विपदाग्रस्त महिलाओं को हिंसा मुक्त जीवन जीने में सहायता दिया जाना आवश्यक है।

हेल्पलाइन का शुभारंभ करते हुए (बाएं से) सदस्या चारू वलीखन्ना, डॉ. कमला बेनीवाल, सुश्री ममता शर्मा, सुश्री लीलाबेन अनोकोलिया

आयोग का दल दाहोद गया

पुलिस द्वारा दाहोद (गुजरात) की संसद सदस्या सुश्री प्रभा तावियाद के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का स्वतः संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी सदस्या सुश्री निर्मला प्रभावलकर के नेतृत्व में एक तीन-सदस्यीय दल इस घटना की जांच करने के लिए दाहोद भेजा।

सुश्री प्रभावलकर ने कहा कि इस घटना की वीडियो क्लिपिंग देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात दिवस समारोह के दौरान पुलिस ने संसद सदस्या को रोके जाने के दौरान उनके साथ बल प्रयोग किया।

आयोग ने गुजरात पुलिस को 15 प्रश्नों की एक सूची देकर कुछ दिन के अन्दर उनका उत्तर मांगा है।

महत्वपूर्ण निर्णय

हरियाणा सरकार ने उन लोगों को 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया है जो राज्य में अल्ट्रासाउंड मशीनों के जरिए लिंग निर्धारण परीक्षण करने वाले डॉक्टरों अथवा रेडियोलॉजिस्टों के बारे में सूचना प्रदान करेंगे। यह सूचना फोन नम्बर 102 में दी जा सकती है।

एक साहस भरा कदम उठाना

18 वर्ष की लक्ष्मी द्वारा निरंतर प्रयास और विरोध करने का यह परिणाम हुआ कि उसका विवाह, जो राजस्थान में तब हुआ था जब वह बालिका थी, खारिज हो गया।

उसने एक साहस भरा निर्णय लेते हुए जाति के प्रधान लोगों को मजबूर किया कि वे उसकी "तथाकथित विवाह" की अस्वीकृति को स्वीकार करें। एक गैर-सरकारी संगठन सारथी ट्रस्ट ने दावा किया कि उस क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ जब एक लड़की ने बाल विवाह के विरुद्ध ऐसा कदम उठाया। बाद में, लक्ष्मी और राकेश ने एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने अपने बाल विवाह को रद्द घोषित किया।

क्या आप जानते हैं?

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार दहेज के कारण हुई मौत के आरोपों के केवल 18% मामलों में दोषसिद्धि हुई है। 2008-10 के दौरान दर्ज 413 मामलों में से 75 मामलों में केवल 207 लोगों को सजा मिली है, यद्यपि पुलिस के आंकड़ों के अनुसार नगर में हर तीसरे दिन दहेज से एक मौत होती है।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना "बालिका भ्रूणहत्या - पाप और अभिशाप" के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। इस कार्यक्रम का आयोजन विधि भारती परिषद ने नई दिल्ली में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और उन्नयन के साथ सहयोग से किया था।

इसमें भाग लेने वाले श्रोताओं को, जिनमें मुख्यतः डॉक्टर थे, सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर का कर्त्तव्य जीवन देना होता है न कि जीवन लेना। उन्होंने कहा कि यद्यपि लिंग निर्धारण और चुनिंदा भ्रूण हत्या के मामले देश में काफी संख्या में हो रहे हैं, फिर भी दोष-सिद्धि की दर बहुत ही कम है। उन्होंने आगे कहा कि दोषी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बाद में इस अवसर पर "इतिहास बनता समाज" शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

डॉ. चारू वलीखन्ना "उत्तर प्रदेश राज्य विचार-विमर्श - पीसीपीएनडीटी एक्ट का क्रियान्वयन" कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि थीं। इसका आयोजन प्लान इंडिया और वर्ल्ड विजन इंडिया और एक्सचेंज फॉर जेंडर कम्युनिटी ने लखनऊ में किया था। बाद में, सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना और शमीना शफीक ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने अन्य बातों के साथ विवाह का अनिवार्य पंजीकरण और इस्लामिक कानून को संहिताबद्ध करने के बारे में भी चर्चा की।

सेमिनार में डॉ. चारू वलीखन्ना (बाएं से तीसरे)

● सदस्या हेमलता खेरिया "महिला हितैषी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नीति बनाना" पर उत्तरी क्षेत्र कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग और वुमैन पॉवर कनेक्ट ने एच.एन.वाई.के.एस. के सहयोग से चंडीगढ़ में आयोजित किया था।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सुश्री खेरिया ने कहा कि पर्याप्त संख्या में महिला हितैषी कानून तो हैं परन्तु निचले स्तर पर कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूकता और जानकारी की कमी है; यहां तक कि जब महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी होती है तब भी वे अपने परिवार को नाराज करने के भय से शिकायत दर्ज नहीं कराती। सुश्री खेरिया ने कहा कि महिलाएं कानूनों का लाभ ले सकें, इसके लिए उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

कार्यशाला में सदस्या हेमलता खेरिया (बाएं से तीसरे)

सरकारी एजेंसियों, विधि निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से आए लगभग 80 प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

● सदस्या वानसुक सयीम ने पश्चिम बंगाल में सुधार गृह का दौरा किया, इसमें 87 संवासी हैं जिनमें से 6 महिलाएं हैं।

उन्होंने यह देखा कि गृह में कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि सिलाई और बुनाई मशीनें महिला संवासियों को दी जानी चाहिए ताकि वे अपने को लाभप्रद कार्यों में लगा सकें। उन्होंने एक चिकित्सा अधिकारी सहित एक पांच बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने की सिफारिश की।

बाद में, सुश्री सयीम ने कुर्मियांग जिला जेल का दौरा किया और यह देखा कि जेल काफी खुली और साफ-सुथरी है जिसमें 23 पुरुष और 3 महिला कैदी हैं।

सदस्या ने यह सिफारिश की कि चूंकि महिलाओं के लिए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है, उन्हें सिलाई और बुनाई की मशीनें दी जानी चाहिए ताकि वे अपना समय कमाई करने के साथ बिता सकें।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर ने हाल ही में गोवा राज्य का दौरा किया। अपने दो दिन के दौरे के दौरान वह मुख्यमंत्री श्री मनोहर परिक्कर से मिलीं और सचिव और निदेशक (राष्ट्रीय महिला आयोग) और एस.ए.डी.ए. में महिला जेल की जेल अधीक्षक के साथ बैठकें कीं।

मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने गोवा के सभी महत्वपूर्ण समुद्र तटों में महिला शौचालयों और चेंजिंग रूम का निर्माण करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे मसाज़ पार्लर और महिलाओं और नाबालिगों पर होने वाले पर्यटन संबंधी अपराधों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है जिससे महिला कामगारों का यौन शोषण को रोका जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान गोवा में महिला आयोग को सुदृढ़ करने की ओर दिलाया ताकि आयोग महिलाओं की शिकायतों का प्रभावी रूप से समाधान कर सकें। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों की सराहना की और सदस्या द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लिखित मुद्दों को देखने का आश्वासन दिया।

सदस्या प्रभावलकर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही हैं। साथ में गोवा की अध्यक्षा एजिलदा सैटिको खड़ी हैं।

बाद में, सुश्री प्रभावलकर ने सादा में महिलाओं के लिए जेल का दौरा किया और विचाराधीन और सज़ायाफ्ता महिला कैदियों से मुलाकात की और न्यायालय के आदेशानुसार उनके मामलों पर शीघ्र मुकदमा शुरू करने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया।

शीघ्र ही अनिवार्य विवाह पंजीकरण की व्यवस्था

दिल्ली में शीघ्र ही विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा और जो नवविवाहित दंपत्ति विवाह होने के 60 दिन के अंदर अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं उनको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। यह विधेयक इस उद्देश्य से लाया जा रहा है जिससे बाल विवाह रोका जा सके, द्विविवाह अथवा बहुविवाह पर रोक लग सके, विधवाएं संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता और संबंध-विच्छेद हुए उनके पतियों से बच्चों की अभिरक्षा मिल सके। दिल्ली में हुए विवाह अथवा दिल्ली से बाहर हुए विवाह, जिसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्यता दिल्ली में रहता है इस प्रस्तावित कानून की परिधि में आएगा।

इस विधेयक में विवाह का पंजीकरण एक आसान अथवा परेशानी मुक्त प्रक्रिया बनाया गया है क्योंकि पति अथवा पत्नी का निर्दिष्ट कार्यालयों में उपस्थित रहना पर्याप्त होगा। विशेष परिस्थितियों में नवविवाहित दंपत्ति अपने विवाह के पंजीकरण के लिए अपने माता-पिता को भी प्राधिकृत कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित कागजात का लेखबद्ध सही तरीके से किया गया हो।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 6, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।